भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

63AC 057647

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह जनरल स्टाम्प पेपर बुन्देल रुरल्स ग्रामो. उत्थान एवं शैक्षिक विकास समिति जिला झाँसी पत्रावली सं० J-22807 के साथ संलग्न है। संशो० स्मृतिपत्र

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ०प्र० झाँसी

27-3-15

कार्यालय सहायक निबन्धक समितियां उत्तर प्रदेश, झाँसी

संशोधित स्मृति–पत्र

1. संस्था : बुन्देलखण्ड ग्रामोत्थान एवं शैक्षिक विकास समिति।
2. संस्था का पता : दूधनाथ नगर, ग्रा0 व पो0 सकरार, जिला झांसी, उ.प्र.
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था के उद्‌देश्य

1. समाज के लोगों का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षिक, कलात्मक, आध्यात्मिक, बौद्धिक विकास करना।
2. अपारम्परिक ऊर्जा के स्रोत संयन्त्रों, गोबर गैस, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा कूड़ा कचरा तथा कतरन से उत्पादित विद्युत व अन्य उत्पादित सामान का प्रदर्शन, वितरण एवं कूड़ा–कचरा प्रबन्धन हेतु नवीनतम तकनीक तथा विधियों के निःशुल्क प्रसार/प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना उपरोक्त मे रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रयास करना तथा समय–समय पर राष्ट्रीय विज्ञान की नया तकनीकों की जानकारी एवं प्रचार करना।
3. कृषि तथा बागवानी मे जैविक खाद के उपयोग तथा उससे होने वाले लाभ के प्रति लोगों मे जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करना तथा आवश्कता पड़ने पर जैविक खाद तथा अन्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास करना।
4. समाज के मूक बधिरों, विकलांगो, नेत्रहीनों, विधवाओं, वृद्धों तथा निराश्रितों, बेरोजगारों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ी जातियों एवं शोषित वर्ग के लोगों के उत्थान एवं कल्याण हेतु कार्य एवं शोध करना।
5. समाज के नवयुवकों को रोजगार हेतु निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण, रोजगार परक अन्य प्रशिक्षण प्रदान कराना।
6. समाज के सभी वर्गों के बालक/बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों, बालिका विद्यालयों, विकलांग विद्यालयों, अल्पसंख्यक विद्यालयों, मदरसों, कालेजों आवासीय विद्यालय की स्थापना करना जिसमें प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा व्यवस्था करना एवं उनके लिए भोजन, वस्त्र, छात्रावास आदि की निःशुल्क व्यवस्था शासन के मानकों के अनुसार करना।
7. समाज के ज्ञानवर्धन तथा हितार्थ निःशुल्क पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना एवं धमार्थ चिकित्सीय शिविर आदि का आयोजन/व्यवस्था करना।
8. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, केन्द्र व राज्य सरकार, समाज कल्याण बोर्ड तथा देश व प्रदेशीय समाज कल्याण एजेन्सियों को नियमानुसार कस्बों व गावों में निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रोजगार के साधन उपलब्ध कराने हेतु विद्यालयों एवं व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण आदि की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं शोध करना।
9. समाज हितार्थ निःशुल्क समस्त प्रकार के चिकित्सालय, अनाथालय, मूक बधिर, विद्यालय, विकलांग विद्यालय, छात्रावास, आई.टी.आई कॉलेज., मदरसा, पॉलीटेक्निक कॉलेज, व्यायामशाला, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, शिशु पालन गृह, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए आदि की स्थापना व संचालन करना।

सुरेश कुमार सेवा राम

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ०प्र०, झांसी

27-3-15

Scanned with CamScanner

CamScanner

10 समाज के निराश्रित निर्धनों, दलितों, जरूरतमंद अल्पसंख्यक, तथा अनुसूचित जाति, जनजाति के वयस्क युवक–युवतियों के दहेज रहित विवाह कराने हेतु सामूहिक विवाह, उत्सवों को आयोजित करना तथा हर सम्भव सहायता करना।

11 झुग्गी–झोपड़ी, मलिन बस्तियों तथा फुटपाथों पर जीवन यापन करने वाले बच्चों के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वास एवं स्व–रोजगार मे सहयोग करना।

12 दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, अग्निकांड, भूकम्प, ओलावृष्टि, तूफान आदि के समय पीड़ित लोगों के लिए चिकित्सा, भोजन, आवास, वस्त्र आदि की खैरात / नि:शुल्क व्यवस्था करना तथा पुनर्वास की व्यवस्था करना।

13. राष्ट्रीय एकता एवं सम्प्रदायिक सद्भाव गोष्ठियों / सम्मेलन का आयोजन करना। समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण विभाग सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडबी, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, सिफ्सा सेफ इण्डिया, हेल्पज इण्डिया, आक्सफेम इण्डिया, वस्त्र मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, वक्फ बोर्ड, पुरातत्व विभाग, एवं विकलांग कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, केन्द्र महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार व सहभागिता करना।

14. प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, टाइप, शार्ट हैण्ड शिक्षा, प्रतियोगितात्मक नि:शुल्क शिक्षा दिलाने हेतु शासन के मानकों के अनुसार डिप्लोमा एवं डिग्री कोर्स के संचालन हेतु शिक्षण / प्रशिक्षण केन्द्र, आई. टी. आई. खोलना व उन्हें संचालित करना।

15. समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, जागरूकता शिविर, उर्स, मेला, प्रदर्शनी स्वास्थ्य शिविर, नेत्र परीक्षण शिविर, नेत्र ऑपरेशन शिविर उर्दू, अरबी, फारसी, हिन्दी भाषा के विकास हेतु जागरूकता कार्यक्रमों तथा शिक्षा संस्थानों की स्थापना / संचालन / प्रबंधन करना। सामाजिक जागरूकता प्रदर्शनी एवं पल्स पोलियो, टीकाकरण, प्रतिरक्षण शिविरों आदि का आयोजन करना। महिलाओं, बालिकाओं, युवाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, शिल्प कला, ललित कला, क्रियेटिव राइटिंग, एवं फैशन डिजाइनिंग, चिकन कारी, जरी, डालमेकिंग, फ्लावर मेकिंग, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रिंटिंग, मिट्टी के कार्य एवं कलात्मक वस्तुओं के निर्माण आदि का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।

16. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, जिला उद्योग केन्द्र की प्रवृत्ति व पैटर्न के अनुसार अन्य ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना व प्रचार प्रसार करना।

17. एड्स, कैंसर, टी0बी0, हेपेटाइटिस, मधुमेह जानलेवा बीमारियों एवं कुष्ठ उन्मूलन, परिवार कल्याण, पल्स पोलियो आदि की पहचान व रोकथाम हेतु लोगों को जागरूक करना एवं परिवार जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना

सुरेश कुमार सेवा राम

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

CamScanner

नियोजन व मातृ–शिशु कल्याण कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु कार्य करना।

18. जन साधारण को पर्यावरण, प्रदूषण, जैव संरक्षण, सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी देना एवं पर्यावरण/प्रदूषण को समाप्त करने का प्रयास करना व शोध कार्य करना।

19. केन्द्र सरकार द्वारा संचालित फल संरक्षण एवं एम0एफ0पी0आई0 द्वारा सभी प्रकार के संरक्षण, फल एवं खाद्य संरक्षण एवं डिब्बा पैकिंग संरक्षण से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन कराना।

20. बन्जर होती भूमि व भू–क्षरण को रोकना, भूमि मे बायोमास, बढ़ाकर भूमि की उत्पादकता, मे वृद्धि हेतु शोध, उत्पादन, प्रशिक्षण व निःशुल्क वितरण की व्यवस्था करना तथा खनिज पदार्थ, पहाड़ व अन्य उत्पादन की वस्तुओं का निर्माण हेतु जागरूकता पैदा करना।

21 समिति उर्दू, अरबी, फारसी, हदीस, फिकाह, हिफ्जु, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, व अन्य भाषाओं के प्रसार व शिक्षण हेतु विद्यालय, मदरसा का संचालन/प्रबंधन नियमानुसार करेगी और आलिम, कामिल, फाजिल, मुशी, मौलवी की तालीम भी देगी ताकि अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़े वर्ग के बालक/बालिकाओं का शैक्षिक एवं मानसिक विकास हो सके।

22 जल संसाधन, वन संसाधन जैसें झरना, नदी, नाला, तालाब, आदि मे बांध, संचालन टैंक, चैकडैम, जल प्रबंधन, सामाजिक वानिकी, पौधारोपण कार्यकमों मे नालियों और क्यारियों को बनाने सम्बन्धी मृदा परीक्षण केनद्र तथा रोपण उत्पादन विकास एवं प्रशिक्षण सेमिनार, प्रचार प्रसार केन्द्रों की नियमानुसार स्थापना एवं संचालन करना।

23. वनों से उत्पन्न होने वाली जड़ी–बूटी व औषधीय पौधों का शोध उत्पादन एवं निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्रों की नियमानुसार स्थापना करना।

24. पॉलीटेक्नीक, एवं पैरावलीनिक, एलोपैथिक, आयुष, डेन्टल, होम्यापैथिक आयुर्वेदिक, एक्यूप्रेशर, एक्युपंक्चर तथा अन्य स्वास्थ्यपरक ज्ञानवर्धक कोर्स चलवाने/शिक्षण हेतु नियमानुसार संचालन/प्रबंधन, करना तथा सरकार की मदद करना जिससे अल्पसंख्यकों निर्धनों, महिलाओं, एवं पिछड़ों को रोजगार परक शिक्षा तथा सुविधा उपलब्ध करायी जा सके।

25. कृषि, बागवानी, बकरी पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, दुग्ध डेयरी, जल संरक्षण तथा संग्रहण, पर्यावरण संरक्षण, वनीकरण तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों से सम्बन्धित रोजगार परक/दायक इसी प्रकार की अन्य सरकारी योजनाओं/परियोजनाओं मे सहभागिता तथा अनुबंध/ठेके पर विभिन्न केन्द्रीय व प्रदेशीय सरकारी विभागों/कार्यालयों के अनुबंध पर कराये जाने वाले कार्य जैसे सड़क निर्माण, भवन निर्माण, पुलिया निर्माण, नलकूप, बोरिंग, चैकडैम, बंधीकरण, मोमबत्ती निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, आधार कार्ड, बायोमैट्रिक कार्ड, इत्यादि तथा साफ–सफाइ कार्य, शौचालय निर्माण कार्य, रखरखाव तथा अनुरक्षण कार्य करना। तथा सरकार योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना जिससे इन परियोजनाओं का लाभ समाज के जरूरतमंद तथा अन्य लोगों को प्राप्त हो सके।

सुरेश कुमार सेता राम
फिरतू

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

Scanned with CamScanner

CamScanner